



न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
R 3882-III/14 प्र. क्र. /2014

- 5/11/14
1. मंजूला पति शोभागमल डोसी जाति जैन
आयु 52 वर्ष लगभग
 2. श्रीमती रश्मि पति विवेक डोसी, जाति जैन
आयु 32 वर्ष लगभग
दोनों निवासी-64, जवाहर नगर, नीमच

---प्रार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय,
नीमच, जिला (नीमच म.प्र.)

---प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण एवं अपील अन्तर्गत धारा 56 इन्डियन स्टैम्प एक्ट

क्रमांक 3541
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा
दिनांक 3-11-14 को प्रेषित
मान्यवर महोदय,

कमर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सेवा में, प्रार्थी/अपीलान्त की ओर से निम्न प्रकार से
पुनरीक्षण/अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
जिला नीमच के द्वारा प्रकरण क्र. 2/सी.-131/2008-09 श्रीमती
मंजूला, आदि-2 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 21.08.2012 को दिये
गये निर्णय के विरुद्ध निम्नानुसार पत्र मिलने की दिनांक से अन्दर मियाद
60 दिन में सूचना मिलने की दिनांक से निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

मामले के तथ्य

अ. यह कि महानिरीक्षक पंजीयन दीपाली रस्तोगी के द्वारा
दिनांक 06.08.2014 को सूचना पत्र क्रमांक 3544/तकनीकी/2014 को
भिजवाये गये पत्र से ज्ञात हुआ कि दिनांक 22.11.2012 को कार्यालय
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश को भिजवाये गये
भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अन्तर्गत भेजे गये
आवेदन पत्रों जिसमें अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के

निरन्तर-2
Rashmi

R 3882-11/14

28-12-15

डाक्टरेट का बेस काम
नोडिस सब डी.ए. जाली जो प्रकृति
के साथ-साथ में संलग्न है।
अनावेक शान की दोर फेनल
कठिनाई की शि.श.क. ल्यानी उर।
डाक्टरेट की अनुपस्थिति के
कारण प्रकृति उरम परकी में शामिल
किया गया है प्रकृति में है।



सुलत
28-12-15
—
(श.प.स.स.स.)